आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी की मौत, शव रखकर घेरा बिजलीघर

हादसा एई, जेई पर एफआईआर की कर रहे थे मांग, गुरूवार की दोपहर बागचीनी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 मार्च। गुरूवार की दोपहर बागचीनी थाना क्षेत्र में 11 केव्ही हाईटेंशन लाईन पर काम कर रहे आऊटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार को मृतक के परिजन सहित गुस्साए लोगों ने शव को विद्युत मंडल कार्यालय में रखकर घेराव और प्रदर्शन किया। उनके द्वारा हादसे के लिए जिम्मेदार बिजली कंपनी के एई और जेई के विरुद्ध एफआईआर की मांग की जा रही थी। मौके पर पहुंचें एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल डाबर के आश्वासन के बाद हंगामा शांत हुआ।

जानकारी के अनुसार खेरिया गांव निवासी देवेन्द्र पाराशर उर्फ नीलू 22 पुत्र जवाहरलाल पाराशर नि. खेरिया बागचीनी बिजली कंपनी में आऊटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करता था। 19 मार्च को बागचीनी थाना क्षेत्र के ग्राम छौले का पुरा में परमिट लेकर 11 केव्ही लाईन की मरम्मत का काम चल रहा था। आऊटसोर्स कर्मचारी देवेन्द्र पाराशर पोल पर चढ़कर मरम्मत का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक 11 केव्ही लाईन में सप्लाई चालू हो गई। जिससे लाईन पर काम कर रहे देवेन्द्र को करंट का जोरदार झटका लगा और बुरी तरह झुलसने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचीं पुलिस ने देवेन्द्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरैना भेज दियाा था। शुक्रवार की सुबह मृतक देवेन्द्र के परिजन पोस्टमार्टम हाऊस पर पहुंच गए थे। इसके साथ ही जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मानवेन्द्र गांधी, कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष गजेन्द्र जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी वहां पहुंच गए थे। यहां परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। जिसके बाद परिजन शव को लेकर बिजली कंपनी के दफ्तर पर पहुंचें, जहां दफ्तर के सामने शव को रखकर उन्होंने घेराव और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा हादसे के लिए जिम्मेदार बिजली कंपनी के सहायक यंत्री और कनिष्ठ यंत्री के विरुद्ध एफआईआर की मांग की जा रही थी। हंगामें की खबर मिलने के बाद एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल डाबर, जौरा एसडीओपी नितिन बघेल, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया मौके पर पहुंच गए थे। एएसपी सुरेन्द्रपाल डाबर ने हंगामा कर रहे लोगों को एफआईआर किए जाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ।

कृषि मंत्री के सुपुत्र ने की 4 .50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा

करंग में आऊटसोर्स कर्मचारी देवेन्द्र पाराशर की मौत होने की सूचना मिलने के बाद मप्र सरकार के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना के सुपत्र कप्रान सिंह कंषाना शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाऊस पर पहुंच गए। उन्होंने हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की और मौके पर मृतक देवेन्द्र की पुत्री को 2 लाख 50 हजार की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मृतक के परिवार के 5 सदस्यों को कृषि मंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 40-40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की।

पत्नी-ससुरालीजनों की प्रताड़ना से तंग युवक फांसी पर झूला

नवभारत न्यूज

मुरैना/कैलारस, 20 मार्च। कस्बा कैलारस के गौतमबुद्ध कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने 20 मार्च को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की वजह पत्नी और उसके भाईयों द्वारा मृतक को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाना पता चला है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके दो भाईयों के विरुद्ध खुदकुशी के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर लिया है।

कैलारस कस्बे की गौतमबुद्ध कॉलोनी में हुई घटना, खुदकुशी के लिए उकसाने की एफआईआर

थाना कैलारस में पदस्थ उपनिरीक्षक मनोज यादव द्वारा मर्ग क्रमांक 20/26 धारा-194 बीएनएसएस के तहत की गई जांच में खुलासा हुआ कि मृतक विनोद जाटव निवासी गौतम बौद्ध कॉलोनी ने 20 मार्च 2026 की सुबह करीब 8 बजे अपने ही घर में फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब उसकी पत्नी चमेली के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार विनोद घर के अंदर शौचालय में गमछे के सहारे लटका हुआ मिला। परिजनों ने उसे तत्काल नीचे उतारकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 19 मार्च को विनोद का उसकी पत्नी चमेली से विवाद हुआ था। विवाद होने पर चमेली ने अपने भाईयों रिंकू जाटव और उप्पे जाटव को बुला लिया था। उन दोनों ने विनोद के साथ मारपीट की थी। परिजन ने बताया कि इससे पहले भी विनोद की उसकी पत्नी के भाईयों द्वारा कई बार मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा था। जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ मृतक विनोद की मारपीट से जुड़ा एक वीडियो लगा है, जिसमें उसकी पत्नी और साले मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे है। पुलिस ने मृतक की पत्नी चमेली जाटव, रिंकू जाटव और उप्पे जाटव के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर लिया है।

एक नजर में

बस स्टैंड से फल और चाट ठेलों को हटवाया

सबलगढ़, 20 मार्च। पुलिस ओर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज बस स्टैंड के सामने यातायात अवरुद्ध कर रहे फल एवं चाट के ठेलो को हटवा कर कन्याशाला के सामने उनको व्यवस्थित कराया। नगर में प्रतिदिन जाम की समस्या ओर बस स्टैंड के सामने अवरुद्ध तरीके से लगे करीब आधा सैकड़ा फल एवं चाट ठेला जो बस स्टैंड पर यातायात अवरुद्ध करते थे और बस स्टैंड पर जाम की स्थित हो रही थी आज दोपहर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आई पी एस राज कृष्णा ओर नगरपालिका सी एम ओ सौरभ कुमार ने पुलिस बल के साथ बस स्टैंड पर पहुंचकर फलो एवं चाट हाथ ठेले बालों को समझाया ओर उनको नई जगह कन्याशाला के बी ई ओ ऑफिस के बाहर कोट की दीवाल से सटाकर लगाने के लिए जगह दी गई है।

स्कूल से बेटे को अपने साथ ले गई पति से अलग रह रही पत्नी

मुरैना। करीब 4 महीने से पति से अलग होकर ग्वालियर रह रही पत्नी पिता के साथ रह रहे पुत्र को उसके स्कूल से अपने साथ लेकर चली गई। जब इस बात का पता उसके पति को चला तो वह जौरा थाने पहुंचा और शिकायती आवेदन देकर पत्नी पर जबरन पुत्र को साथ ले जाने के आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार बिलगांव निवासी विनोद शर्मा पुत्र बृजभूषण शर्मा का पत्नी वर्षा तिवारी से विगत करीब 4 महीने से विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर पत्नी वर्षा तिवारी 4 महीने से अलग होकर ग्वालियर में रह रही है। जबकि विनोद अपने 8 वर्षीय पुत्र ध्रुव उर्फ वंश शर्मा के साथ बिलगांव में रह रहा है। विनोद का पुत्र वंश शर्मा कस्बा जौरा स्थित सनशाईन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। 20 मार्च को स्कूल वैन वंश को बिलगांव से लेकर गई थी। स्कूल वैन जब विद्यालय के पास पहुंची, तभी वहां पहले से मौजूद वर्षा तिवारी ने बस को रोका और उसमें सवार अपने पुत्र वंश उर्फ ध्रुव शर्मा को उतारकर अपने साथ ले गई। स्कूल वैन के ड्राईवर दीपक शर्मा ने इस बात की सूचना तत्काल विनोद शर्मा को दी। जिसके बाद विनोद शर्मा जौरा पुलिस थाना पहुंचें और पत्नी पर बलपूर्वक पुत्र को साथ लेकर जाने के आरोप लगाते एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन निरीक्षक ओपी रावत को सौंपा। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध नहीं किया था।

किरावली जदीद में होगी तालाब की सफाई, गहरीकरण व पौधारोपण

दर्जनभर से अधिक पंचायतों में चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान

मुरैना। ग्राम पंचायत किरावली जदीद के ग्रामीणों को बहुत लाभ का धंधा बनेगा सरपंच श्रीमती देवी जालिम धाकड़ ने बताया कि तालाब जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। कैलारस जनपद की ग्राम पंचायत किरावली जदीद में जल संवर्धन योजना अंतर्गत 2011 में पोखर पोखर का निर्माण सरपंच द्वारा कराया गया था, अब श्रीमती श्रीमती देवी धाकड़ सरपंच ग्राम पंचायत करावली यदि द्वारा होकर क्या एग्रीकल्चर एवं गहरीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम नाली साफ-सफाई जल संवर्धन की कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत किरावली यदि में जल संवर्धन अभियान अंतर्गत आज तालाब एवं पोखर गरीकरण एवं साफ-सफाई प्रणाली सफाई का प्रचार कार्यक्रम शांति धाम में किया गया एवं हाई स्कूल प्रांगण में और शांति धाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सचिव रामजीलाल प्रजापति, जालिम सिंह धाकड़, जयपाल सिंह जादौन, नरेश धाकड़ प्रदीप श्रीवास, लोकेंद्र प्रजापति, करण सिंह धाकड़, रमेश सिंह धाकड़ राम अवतार आदि उपस्थित थे।

मारपीट के केस में 6 साल से फरार वारंटी धर्मेन्द्र गिरफ्तार

मुरैना। कोतवाली थाने में दर्ज मारपीट के केस में विगत 6 साल से फरार चल रहे आरोपी धर्मेन्द्र गुर्जर को पुलिस ने 20 मार्च को दबोच लिया। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाने में मारपीट की धाराओं में दर्ज अपराध क्रमांक-620/2007 में नामजद धर्मेन्द्र गुर्जर पुत्र हलुके गुर्जर नि. न्यू आमपुरा मुरैना वर्ष 2019 से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोतवाली पुलिस ने 20 मार्च को मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में निरीक्षक अमित भदौरिया, प्र.आर. नरेश शर्मा, आरक्षक शिवप्रताप सिंह भदौरिया, सत्यम शर्मा, कुलदीप जाट, सूरज राठौड़, श्यामबिहारी, अर्जुन, अशोक गुर्जर शामिल थे।

राजघाट पर डंप 19 लाख कीमती 950 ट्रॉली रेत नष्ट कराया

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 मार्च। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में राजस्व, वन, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को चंबल नदी के राजघाट क्षेत्र में अवैध रेत के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की।

संयुक्त अभियान के दौरान टीम को राजघाट पर तकरीबन 950 ट्रॉली रेत डंप किया हुआ मिला। जिसका बाजारू मूल्य 19 लाख रूपये आंका गया। डंप मिले इस रेत को टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी में मिलाकर विनिष्टीकरण कराया।

यह कार्रवाई सीएसपी दीपाली चंदौरिया के नेतृत्व में हुई। कार्रवाई में राजस्व, प्रशासन, वनविभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। उक्त कार्रवाई वन अधिनियमों के तहत नियमानुसार की गई।

इस प्रकार की सख्त कार्यवाहियों का उद्देश्य अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

सद्भाव व भाईचारे से मनाएं ईद-रामनवमी के त्यौहार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 मार्च। 21 मार्च को ईद-उल-फितर एवं आगामी दिनों में आने वाले रामनवमी सहित अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शुक्रवार को जौरा पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में निरीक्षक ओपी रावत ने सभी धर्मों के गणमान्य नागरिकों से ईद-उल-फितर, रामनवमी सहित अन्य त्यौहारों को आपसी भाईचारा और सदभाव के साथ मनाए जाने की अपील की।

जौरा में शांति समिति की बैठक आयोजित, शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

इस बैठक में युवा समाजसेवी रुद्र दुबे ने बताया कि रामनवमी के मौके पर नगर में शोभयात्रा निकाली जाएगी। जिसके लिए उन्हें सुरक्षा के प्रबंध, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के इंतजाम करने की बात कही। चैत्र नवरात्र महोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों पर लगने वाले मीट, मांस और अंडों के ठेलों को हटाया जाए। बैठक में रामहेत त्यागी, मुरारीलाल अमर, चंद्रमोहन शर्मा, शिवा शर्मा, वीरेन्द्र नेगी, देवा त्यागकी, राहुल गुप्ता, महेश प्रजापति, जेपी पाराशर, वीर सिंह सिकरवार आदि उपस्थित थे।

एसडीओपी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च

ईद के त्यौहार की पूर्व संध्या पर एसडीओपी जौरा नितिन बघेल, नगर निरीक्षक ओपी रावत के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने जौरा नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च एमएस रोड, चंद्रशेखर आजाद रोड, नया बाजार, सदर बाजार, तहसील चौराहा, पचबीघा, तिकोनिया पार्क से होकर पुन: पुलिस थाने पहुंचा। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे।

टीईटी परीक्षा को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक कल

मुरैना, 20 मार्च। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा के आदेश जारी किए जाने को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन कल 22 मार्च को किया जाएगा। यह बैठक स्थानीय चंबल पार्क में दोपहर 12 बजे से होगी। प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि टीईटी परीक्षा के निर्णय से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जिसमें सभी संगठन मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन करेंगे, जो सरकार के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं से रखेगा और सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर करने का आग्रह करेगा। श्री शर्मा ने समस्त शिक्षकों से कल होने वाली बैठक में उपस्थित रहने की अपील की है।

जल गंगा संवर्धन अभियान : जौरी तालाब की सफाई की, रोपे पौधे

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 मार्च। मप्र शासन द्वारा जल स्त्रोतों के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान 13 मार्च से 31 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 20 मार्च को महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे के निर्देशन, मार्गदर्शन में जलीय संरचना जौरी तालाब की साफ-सफाई के साथ अभियान का शुभारंभ किया गया।

इस मौके पर महापौर शारदा सोलंकी ने शहर वासियों से अपील की है कि शहर की जलीय

13 मार्च से 31 जून तक नगर निगम क्षेत्र में चलेगा अभियान

संरचनाओं के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए श्रमदान कर अभियान को सफल बनाएं। नगर निगम आयुक्त सतेंद्र धाकरे ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर के सभी जलीय संरचनाओं संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए नगर निगम द्वारा प्रतिदिन शहर की जलीय संरचना कुआं, बावड़ी, तालाब आदि की साफ-सफाई कर अभियान को सुचारू रूप से प्रतिदिन चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत शहरवासी भी श्रमदान कर जलीय संरचनाओं को साफ-सुंदर एवं स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग श्रमदान कर दे सकते हैं। इस अवसर पर महापौर एवं ननि आयुक्त ने श्रमदान किया और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। जिसके बाद तालाब किनारे पौधारोपण किया गया। अभियान में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश टैगोर, उपयंत्री दीपक, पंकज बारिया, कैलाश बाथम सहित नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे।

सफाईकर्मी न होने से वार्ड 14 में पार्षद खुद सड़क पर लगा रहे झाड़ू

नवभारत न्यूज

मुरैना, 20 मार्च। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने की बात कहने वाले नगर निगम मुरैना के अधिकारी शहर के वार्डों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं कर पा रहे है। जिसकी वजह से शहर के विभिन्न वार्डों में कूड़ा-कचरे के ढेर लगे हुए है। आमजन की इस परेशानी को देखकर अब वार्ड पार्षद

लगातार मांग करने पर भी आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी ने नहीं की तैनाती

स्वयं ही सड़कों पर उतरकर झाड़ू लगाकर सफाई करने पर मजबूर है।

ऐसा ही मामला 20 मार्च को नगर निगम के वार्ड-14 में देखने को मिला। यहां वार्ड पार्षद युवराज डंडौतिया माधौपुरा से अंबाह बायपास रोड तक जाने वाली सड़क पर शुक्रवार को खुद ही झाड़ू लगाते हुए देखे गए। पार्षद श्री डंडौतिया ने बताया कि शहर को अंबाह बायपास रोड से कनेक्ट करने वाले इस रास्ते पर नगर निगम की ओर से अब तक साफ-सफाई के लिए किसी कर्मचारी को तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी की तैनाती को लेकर उनके द्वारा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और आयुक्त को कई बार मौखिक एवं लिखित आवेदन के माध्यम से मांग की जा चुकी है। लेकिन अब तक सफाईकर्मी की तैनाती नहीं हुई है। जिसकी वजह से इस मुख्य रास्ते पर गंदगी पसरी हुई है।

गंदगी से परेशानी का करना पड़ रहा सामना

सड़क किनारे रहने वाले लोगों को कचरे के ढेरों एवं गंदगी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद श्री डंडौतिया ने नगर निगम के अधिकारियों की कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के विरोध में शुक्रवार को स्वयं ही झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई की और विरोध जाहिर किया। श्री डंडौतिया ने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए जाने की मांग की है।

कार्यालय,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना
क्रमांक-935...मुरैना
दिनांक-19/03/2025

सार्वजनिक सूचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्र. एमआईजी डीलक्स-77 मयूरवन कॉलोनी मुरैना जो कि श्री नाथूराम गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामचंद्र गुप्ता को आवंटित किया गया था। श्री नाथूराम गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामचंद्र गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक-05.05.2021 को दस्तावेज के आधार पर हो चुका है। इनके वारिस श्रीमती अनारकली गुप्ता पत्नी स्व. श्री नाथूराम गुप्ता, श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री गिरीज किशोर गुप्ता पुत्रगण स्व. श्री नाथूराम गुप्ता के द्वारा उक्त भवन अपने नाम नामांतरण/ हस्तांतरण बावत आवेदन किया है. जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी.

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

आम सूचना

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम पमाया, बामौर, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका बामौर वार्ड क्र .01 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र .396 ग्राम पमाया का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1290 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूखण्ड श्री भारत सिंह, पश्चिम में-भूखण्ड श्रीमती रेखा देवी, उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में-भूमि श्री नारायण सिंह है। उक्त सम्पति एवं संलग्न अन्य सम्पति पूर्व में श्री ग्यासीराम एवं श्री लखाराम पुत्रगण श्री मनपाल के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री लखाराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री वीर सिंह एवं श्री मोहर सिंह पुत्रगण श्री लखाराम एवं श्रीमती गणेशी बाई पुत्री श्री लखाराम उनकी सम्पति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री वीर सिंह एवं श्रीमती गणेशी बाई द्वारा उक्त सम्पति श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792022 ए1518418 दिनांक 19.05.2020 से विक्रय की गई। श्रीमती लक्ष्मी द्वारा उक्त सम्पति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती ममता पत्नी श्री मुन्ना के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती ममता द्वारा उक्त सम्पति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री लखाराम के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710